बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक : बैंक ऑफ इंडिया

55 वीं एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 11.05.2016

स्थान – होटल रैडिसन ब्लू , रांची

55वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
55th SLBC MEETING, JHARKHAND

55वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 11.05.2016 को होटल रेडिसन ब्लू, रांची में किया गया । माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास ने बैठक का शुभारंभ किया। व्यवसाय सत्र में बैठक की अध्यक्षता श्री अमित खरे, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने किया। श्री एन.एन.सिन्हा ,प्रधान सचिव ,ग्रामीण विकास ,झारखंड सरकार, श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण , झारखंड सरकार, श्री मेलविन रेगो, प्रबंध निदेशक एवं सी. ई. ओ. बैंक ऑफ इंडिया,श्री एम.के.वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक ,भारतीय रिज़र्व बैंक ,पटना ,श्री एस.मण्डल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री पैट्रिक बारला, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक , श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड, श्री एस. के. मुखर्जी, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड, झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य स्थित बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे ।

सभा के प्रारम्भ में श्री मेलविन रेगो, प्रबन्ध निदेशक एवं सी. ई. ओ., बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

स्वागत भाषण Welcome Address:

सभा की औपचारिक शुरुआत श्री मेलविन रेगो, प्रबन्ध निदेशक एवं सी. ई. ओ., बैंक ऑफ इंडिया ने अपने स्वागत भाषण से की। उन्होने मंचासीन सभी अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत किया। उन्होने माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी को अपने व्यस्त कार्यक्रम के वावजूद सभा में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। श्री रेगो जी 55वीं झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का सहभागी बनने के अवसर पर अपनी खुशी जाहीर की। उन्होने कहा एस.एल.बी.सी. का मीटिंग एक ऐसा मंच है जहां सभी बैंक एवं सरकारी संस्थाएं एक साथ मिल कर राज्य के विकाश की चर्चा करते हैं। वर्तमान मे प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा कार्यक्रम के साथ बैंक की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। उन्होने इन कार्यक्रमों मे झारखण्ड के बैंकों के उपलब्धि पर

प्रसन्नता जाहीर की। झारखण्ड राज्य मे बैंकों के 2908 शाखाएँ जिसमे से 1469 शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र मे हैं। साथही उन्होने चिंता जाहीर करते हुए कहा कि राज्य के 16 उग्रवाद प्रभावित जिलों मे बैंकों के शाखाओं का प्रसार कम है। उन्होने 31.03.2017 तक 5000 से अधिक जनसंख्या वाले पत्येक ग्राम मे बैंक का एक शाखा अनिवार्य रूप से, आवंटित बैंकों द्वारा खोले जाने पर ज़ोर दिया। उन्होने बताया कि कौशल विकाश के क्षेत्र मे 24 RSETI एवं 1 RUDSETI के साथ बैंक खुद प्रशिक्षण प्रदान कर रहें हैं। उन्होने इसपर प्रसन्नता व्यक्त किया कि झारखण्ड राज्य मे बैंकों का ऋण-जमा अनुपात पिछले तिमाही मे जो 59.45% थी, बढ़ कर 60.61% हो गई है। साथ ही उन्होने यह चिंता भी जताया कि कुछ जिलों का ऋण-जमा अनुपात 30% से भी कम रही है। उन्होने बताया कि यह एक सुखद बात है कि इस वर्ष इस राज्य के बैंकों ने 24058.72 करोड़ रुपए की नई ऋण का वितरण किये है। उन्होने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2016-17 के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी। उन्होने इस बात पर खुशी प्रकट किया कि कृषि ऋण मुहैया करने मे बैंकों ने गति प्राप्त कर ली है। उन्होने बैंकों के एनपीए मे लगातार वृद्धि पर अपनी चिंता जाहीर की। एनपीए वसूली मे राज्य सरकार के सहायता की उन्होने प्रशंसा की। उन्होने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी छात्रों को 4 लाख रुपए शिक्षा ऋण प्रदान करने के अभियान का शुभारंभ करने की दिशा को एक सराहनीय कदम बतलाया। उन्होने झारखण्ड के सारे बैंकों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी बैंक झारखंड राज्य के विकास से संबन्धित गतिविधियों से गंभीरता से जुड़े हुए हैं एवं भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। उन्होने उम्मीद जताई कि इस बैठक में विकास के मुद्दों पर काफी सार्थक चर्चा होगी।

श्री मेलविन रेगो के भाषण के उपरांत शिक्षा ऋण स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम आरंभ के पूर्व श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृस्ट करते हुए कहा कि समिति के पिछले बैठक मे उन्होने आदिवासी छात्र / छात्राओं को 4 लाख तक की शिक्षा ऋण अभियान चला कर मुहैया करने की बात कही थी, आज हम इस अभियान का शुभारम्भ 40 जन-जातीय विध्यार्थियों को 1.96 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण प्रदान कर कर रहें हैं। उन्होने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि 10 विध्यार्थियों को अपने हाथों शिक्षा ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमवार 10 विध्यार्थियों को अपने करकमलों द्वारा शिक्षा ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किये।

इसके उपरांत राज्य मे महिला स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज मे उत्कृस्ट प्रदर्शन के लिए बैंको को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया जिसमे बैंक ऑफ इंडिया को 906 ग्रुप के लिंकेज के लिए प्रथम, 873 ग्रुप के लिंकेज के लिए वनांचल ग्रामीण बैंक को द्वितीय एवं 760 ग्रुप के लिंकेज के लिए झारखण्ड ग्रामीण बैंक को तृतीय पुरुस्कार प्रदान किया गया।

तत्पश्चात महिला स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज मे जिला-वार उत्कृस्ट प्रदर्शन के लिए पाकुड़ जिले को प्रथम, रांची जिले को द्वितीय एवं पश्चिमी सिंघभूम जिले को तृतीय पुरुस्कार के साथ सम्मानित किया गया।

इसी क्रम मे शाखा-वार उत्कृस्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पालकोट शाखा को प्रथम, पंजाब नेशनल बैंक के सतबरवा शाखा को द्वितीय एवं बैंक ऑफ इंडिया के तोरपा शाखा को तृतीय पुरुस्कार से सम्मानित किया गया।

इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्बोधन के लिए निवेदन किया गया।

माननीय श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार का संबोधन

माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी ने एसएलबीसी की 55वीं बैठक में उपस्थित सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों, राज्य सरकार तथा बैंकों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य सहभागियों का स्वागत किया।

अपने भाषण मे उन्होने श्री रेगो जी का हार्दिक स्वागत किया। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी बैंकरों को हृदय से धन्यवाद प्रकट किए।उन्होने कहा कि पिछले बैठक मे उन्होने अनुसूचित जन-जाति छात्रों को बैंकों द्वारा सुलभ रूप से शिक्षा ऋण मुहैया कराने की जो मुद्दा उठाया था, आज उसका समाधान हो रहा है।इसी क्रम मे इसके अभियान आरंभ करने के लिए श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड एवं सारे बैंकों को हृदय से आभार प्रकट किए। उन्होने अपने भाषण मे कहा कि - झारखण्ड विभिन्न खनिजों का भंडार है परंतु इसके गोद मे गरीबी पलती है, इस गरीबी को समाप्त करना है। गरीबी का मुख्य कारण अशिक्षा है। 67 वर्ष कि आजादी के बाद भी साक्षरता का दर 66% है, इसे 90% तक लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी के कारण लोगों का राज्य से पलायन हो रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के पारिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। पढ़ाई मे बाधा ना आए इसके लिए छात्रवृति की भुगतान की योजना बैंक-खातों द्वारा किया जाना आरम्भ किया गया है। इससे बच्चे अपना पढ़ाई जारी रख सकेंगे और निश्चित रूप से झारखण्ड मे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। झारखण्ड को शिक्षित प्रदेश बनाना है। इसमे भी बैंकों की काफी बड़ी भूमिका होगी। हमारा जीवन वैश्वीकरण के कारण कठिन होता जा रहा है और शायद शिक्षा ऋण की 4 लाख की रकम भी कम पड़ जाएगी। इसे अगर समिति 7.5 लाख तक के ऋण की अनुमति दें तो पढ़ाई मे किसीभी तरह की कठिनाई नहीं हो पाएगी। श्री एम.के. गुप्ता, महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने तुरंत घोषणा की कि शिक्षा ऋण की रकम 4 लाख से बढ़ा कर 7.5 लाख तक बिना किसी गारंटी या कोलेटरल सेक्यूरिटी के बैंको द्वारा लागू शर्तों के अनुपालन के बाद मुहैया कराई जाएगी। इस त्वरित स्वीकृती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिये।उन्होने कहा कि आज के बैठक भवन मे शिक्षा ऋण पाने वाली जिस बच्ची ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसकी सोच कितनी बड़ी है कि पढ़ाई के बाद अपने राज्य की सेवा करेगी। यहाँ उपस्थित चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक या गैर सरकारी कर्मचारी हों, निश्चित रूप से मै कह सकता हूँ कि हम सभी की सोच है कि हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़े। इस सोच पर हमारी जो भूमिका है, पूरी ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि कभी-कभी हमे सूचना मिलती है कि कुछ शाखाओं से जन-जातीय छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए काफी परेशानी होती है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि एक स्वछ परंपरा जो इस बैठक से सुरुवात हुई है यह अनावरत चलती रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि बैंकों ने इस योजना के तहत ऋण मुहैया कराके बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया है। वे आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं परंतु 4 लोगो को रोजगार देने मे सक्षम है। नौकरी सीमित है, अतः पढ़-लिख कर हुनर मंद बनने और खुद का उध्योग लगाने मे उन्होने बल दिये। उन्होने कहा इनके उध्योग लगाने मे बैंकों द्वारा सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आगे उन्होने कहा कि बैंकों के करेंसी चेस्ट की सुरक्षा के लिए जिले के सभी पुलिस अधिक्षकों को निर्देश जारी

कर दिये गए हैं। भूमि के डीजीटाईजेशन का काम 264 मे से 120 अंचलों का हो गया है और बाकी मे भी इसका काम तेजी से जारी है जिससे बैंकों को कृषि ऋण मुहैया कराने मे सुविधा होगी।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि पुराने फसल बीमा योजना मे संसोधन करते हुए नए फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुभारंभ किया जा चुका है। इसमे आवश्यकता है कैंप लगाकर शत-प्रतिशत किसानो के फसल का बीमा हो सके। उन्होने कहा कि राज्य मे ऐसे 137 ग्राम हैं जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, बैंक रहित हैं। उन्होने बैंकर समिति से आग्रह किए कि जून माह के अंत तक इन ग्रामो मे बैंक की एक-एक शाखा खोली जाय।बैंकों का झारखण्ड राज्य मे सी.डी. रेशिओ 60% है। इसका लाभ राज्य के छोटे उध्योगों को मिलनी चाहिए। इससे निवेश की सम्भावना बढ़ेगी। इसके लिए बैंकों से अपेक्षा करते हैं। कृषि ऋण भी बढ़ाने की अवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का सीडी रैशियो 30% है। इन क्षेत्रों मे ऋण की प्रवाह बढ़नी पड़ेगी तभी इनके सीडी रेशियो मे सुधार हो पाएगी। स्वय सहायता समूहों का जिक्र करते हुए उन्होने बतलाया कि समूह को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले कंबल, तौलिये, चादर, स्कूल ड्रेस अब झार-क्राफ्ट से ही खरीदे जाएंगे, जिनका निर्माण स्वय सहायता समूहों की बहने करेंगी। उन्होने कहा कि जब हरेक हाथों को रोजगार मिलेगा तभी सही मायने मे झारखण्ड सुखी हो सकेगा।

अंत मे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उम्मीद जताई कि एसएलबीसी की बैठक में सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी।

Business Session

एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने झारखंड सरकार के विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, श्री अमित खरे से व्यवसाय सत्र की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। श्री खरे ने इसपर अपनी स्वीकृति जताई तथा कार्य सुची के अनुसार सभा की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की।

अध्यक्ष के आदेशानुसार श्री अंजन मैत्रा, मुख्य प्रबंधक, एसएलबीसी, झारखंड ने कार्यवाही शुरू की एवं बैठक को सूचित किया कि दिनांक 10.02.2016 को आयोजित 54 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं| सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है। अतः सर्वसम्मत्ति से उक्त बैठक के कार्यवृत्त के पारित होने की पुष्टि बैठक द्वारा कर दी गयी।

तत्पश्चात् श्री मोईत्रा ने एस एल बी सी की 55 वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
<u>कार्य सूची सं-2</u> <u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन(Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, 1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके|	(1. भूमि अभिलेखों केDIGITIZATION की कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा. अभीतक 264 अंचलों मे से 120 अंचलों मे यह कार्य हो चुका है।) 2. माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में TAC की उप समिति की बैठक हो चुकी है | बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु CNT/SPT एक्टमें आवश्यक अनुशंसाप्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी | 3. अनुसूचित जनजाति के सलाहकार समिति की गठित उप-समिति के माननीय सदस्य श्री जे.बी.तुबिद को बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रदत्त ऋण की सुचना की मांग की गई थी, जो उपलब्ध करा दी गई है |	सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि डिजिटिकरण का कार्य दिसम्बर,2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।

2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।		
<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u>– राज्य सरकार के द्वारा ,एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने का प्रस्ताव था , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा upfront कोर्ट फीस का भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का संशोधित प्राबधान लागू करने का प्रस्ताव था।	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकारअधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस काअपफ्रॉन्टभुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है,जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई नही हो रही थी। प्रधान सचिव , योजना एवं वित्त भाग ,झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गजट अधिसूचना का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं|</u>**	प्रधान सचिव, योजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा सभी ज़िला के उपायुक्तों को उपर्युक्त गज़ट अधिसूचना के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं।
" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन **46वें बैठक में तय समय सीमा – 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है| EXPERT पैनलका गठन कर लिया गया है एवं इसकी पहली बैठक भी हो चुकी है । MONEY लेंडर एक्ट में संशोधन हेतु आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।	भु-राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा बतलाया गया कि इस विषय पर नए संसोधन के साथ Model Act बनाने की प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना ।	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूलीअधिनियम विधेयक" 2015को विधान सवा द्वारा पारित कर दिय गया है, जिसके उपरांत लोक वसूली अधिनियम 1914 में संशोधन हेतु माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है पर अनुमोदन अब तक अप्राप्त है, पुन:स्मरण-पत्र भेजा गया है ।	1. राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए प्रेषित। 2. राष्ट्रपति कार्यालय को झारखण्ड सरकार द्वारा अनुस्मारक प्रेषित।

राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था 46वें बैठक में तय की गई समय सीमा – 02 माह	SLBC, RBI एवं गृह विभाग के संवंधित विभाग के साथ समन्वय कर बैठक कर लिया गया है | SLBC की उप-समिति की बैठक दिनांक 29.04.16 के निर्णय के आलोक में में सभी जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड पुलिस के द्वारा CURRENCY CHEST की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है |	**राज्य सरकार**
आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन	• सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दी गई है | • रामगढ जिलामें आवंटित भूमि आवंटि बैंक PNB के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया, भूमि आवंटन का मामला AC के पास लम्वित है |	राज्य सरकार
नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	योजना एवं विकास विभाग के मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है।ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।	राज्य सरकार
रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित की गयी है | झारखंड सरकार के द्वारा, उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI को संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया है पर इससे संबन्धित अद्यतन सूचना अप्राप्त है | इस विषय मे RBI के उप-महाप्रबंधक ने कहा की जो जमीन RBI एवं NABARD को आवंटित किया गया है, इसमे अतिक्रमण का मामला है। भूमि राजस्व विभाग से इस मामले मे सहयोग एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराने की बात कही।	राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार से अन्य बैंकों को भी यथा शीघ्र भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसपर उपस्थित विभागाधिकारी ने कहा कि इसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा।

कई जिलों के उपायुक्त कार्यालयों से , बैंकों को SARFAESI एक्ट के तहत प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने में असामान्य विलम्ब हो रहा है,झारखण्ड सरकार से आग्रह है कि सभी जिला-प्रशासन को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाय।	योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशानिर्देश भेजा जा चुका है।	**अनुपालित**
झारखण्ड सरकार से आग्रह है की बैंकों से वित्त-पोषित एवं HYPOTHECTED सभी व्यावसायिक वाहनों के परमिट (PERMIT) नवीकरण के समय,संवंधित बैंकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने को आवश्यक बनाया जाय,इससे बैंकों के ऋण खातों में रिकवरी में सहायता मिलेगी।	परिवहन सचिव द्वारा जिला स्तर पर दिशानिर्देश जारी किया गया है एव यह विषय अनुपालित है।	**अनुपालित**

बैंक से संबधित मामले Issues Pertaining To Banks

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेटबैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।	प्रधान सचिव ग्रामीण विकास ने बतलाया कि इस कार्य के लिए भूमि आवंटन संबन्धित कठिनाई का निदान हो चुका है; लेकिन भवन निर्माण के कार्य मे वांछित प्रगति नहीं हो पायी है। इस कार्य मे तेजी लाने की आवश्यकता है। साथही उन्होने कहा कि आरसेटी सिल्ली, रामगढ़ एवं सरायकेला के भवन निर्माण मे कोई प्रगति नहीं देखी जा रही है। रांची मे स्टेट बैंक द्वारा संचालित RSETI के भवन निर्माण के लिए झारखण्ड सरकार द्वरा 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है।	समिति ने हो रहे विलंब पर काफी नाराजगी दिखाई। समिति ने SBI, Canara Bank तथा PNB को गंभीरता दिखाते हुए RSETI के निर्माण को एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पूरा करने के निर्देश दिये।
RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना।	बैंकों के द्वारा विभिन्न RSETI में अब तक के प्रशिक्षित TRAINEES में से 3062 प्रशिक्षित लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। पर काफी प्रशिक्षित लोगों के द्वारा जमा किए आवेद्न-पत्र बैंकों के द्वारा लौटाया गया या उनके पास लम्वित है, जबकि SLBC द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चूका है कि CONTROLLING ऑफिस के अलावा शाखा स्तर से यह आवेदन नही लौटाया जा सकता है। इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि SPC, RSETI के द्वारा बैंकवार लम्वित आवेदन पत्र की सूची उपलब्ध करायी जाएगी ताकि बैंकों द्वारा शाखा स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।	समस्त बैंक/ सभी एलडीएम/राज्य सरकार इस विषय पर RSETI के संयोजक श्री अशोक कुमार ने वादा किया था कि बैंकवार पेंडिंग आवेदनो की सूची मुहैया करा दी जाएगी। इसके प्राप्त होने पर बैंकों के CONTROLLING कार्यालयों से संपर्क कर पेंडिंग आवेदनो का निपटारा कर लिया जाएगा। सभी बैंकों के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि स्वीकृत आवेदनो का निपटारा 31.05.2016 तक एवं पेंडिंग आवेदनो की स्वीकृती या वापसी 15.06.2016 तक कर लिया जाएगा।

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
कार्य सूची संख्या-3 **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक** **जमा,क्रेडिट, एवं ऋण-जमा अनुपात**	राज्य के बैंकों के जमा स्तर में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के दर पर इस वर्ष के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 8.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऋण संवितरण के स्तर में भी वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के दर पर इस वर्ष 7.42% की वृद्धि दर्ज हुई है।राज्य का ऋण-जमा अनुपात इस वर्ष 60.60% दर्ज किया गया है जो कि न्यूनतम निर्धारित मानक 60% से 0.60% ऊपर है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना मे 0.90% कम रही है। झारखंड में बैंकों के ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। यह लगभग 60% के स्तर पर स्थिर सी हो गयी है। यह राज्य की प्रगति के कमतर होने के कारणों में एक है।कुछ जिलों में तो इसका स्तर 40% से भी कम है। इसका मूल कारण बैंकों की जमा राशि में वृद्धि है। चर्चा के दौरान इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा राज्य में ऋण संवितरण की मात्रा को बढ़ाने पर बल दिया गया ताकि ऋण जमा अनुपात मे वृद्धि हो सके। समिति ने उन सभी बैंकों से जिनका ऋण- जमा अनुपात 30% से कम है,एक सुदृढ़ कार्य-योजना बना कर इस दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया।	समस्त बैंक वह जिनका C.D. Ratio 30% से कम है, वे अपना कार्य योजना प्रस्तुत करें।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **31 मार्च, 2016**को रू. 5067.86करोड़ (15.02प्रतिशत) कीवृद्धि दर्ज की गयी है।वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 54.86प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। बैठक मे निर्णय लिया गया कि इस प्रगति दर को आगे भी कायम रखी जाय।	सभी बैंक/राज्य सरकार/एसएलबीसी
कृषि ऋण	**31 मार्च, 2016**को कृषि अग्रिम रू. 12858.56 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 18.18 प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में कुल रू. 1112.89 करोड़ की वृद्धि	सभी बैंक

	दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.47प्रतिशत की वृद्धि है। बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि कृषि ऋण की स्वीकृति मे और गति प्रदान किया जाय।	
कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को प्रदत्त ऋण	राज्य मे कमजोर वर्ग को कुल ऋण का 20.76% ऋण दिया गया है जो कि राष्ट्रिय बेंचमार्क जो 10% है, काफी बेहतर है।महिलाओं को जो ऋण दिया गया है उसमे पिछले वर्ष के तुलना मे 23% की वृद्धि हुई है, इस गति को आगे भी बनाए रखने की आवश्यकता है।	सभी बैंक
अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत ऋण	इसमे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.67% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर भी यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 13.63% है, जो मानक 15% से कम है। बैठक मे न्यूनतम मानक 15% को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	सभी बैंक

कार्य सूची संख्या-४	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2015-16 की उपलब्धि	इस विषय पर सेक्टरवार उपलब्धि पर चर्चा करते हुए एस एल बी सी ने बताया कि विगत वर्ष की की तुलना में इस वर्ष सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है तथा आनुपातिक आधार पर लक्ष्यों की उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में काफी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सभी बैंकों के द्वारा कुल रुपए 24058.71 करोड़ का संवितरण किया गया है जो कि पिछले साल से रुपए 5346.01 करोड़ अधिक है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में ऋण संवितरण में 28.57% की वृद्धि हुई है।बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा आशा व्यक्त की गयी कि **ACP** 2016-17 के निर्धारित लक्ष्य को सम्पूर्ण प्रयास कर प्राप्त कर लिया जाएगा।	सभी बैंक
वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2016-17 की समपुष्टि	नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित **"Potential Linked Plan"** के आधार पर अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालयों द्वारा तैयार "वार्षिक ऋण योजना" का सभी जिले के **DLCC** द्वारा अनुमोदित "वार्षिक ऋण योजनाओं" को संकलित कर राज्य की वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2016-17 बनाई गई जिसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा बैठक मे प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप मे निम्नानुसार है : **प्राथमिकता क्षेत्र मे ऋण:** **(सारे रकम करोड़ मे)** कृषि ऋण : 7353.41 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम : 6526.96 शिक्षा ऋण : 549.56 गृह निर्माण : 1590.39 अन्य प्राथमिक क्षेत्र: 921.78 कुल प्राथमिक क्षेत्र **: 17245.10** **गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मे ऋण:** बड़े उध्योग : 1930.06 शिक्षा ऋण : 565.87 गृह निर्माण : 810.57 अन्य : 7055.17 कुल गैर-प्राथमिकता क्षेत्र **: 10361.67** **कुल वार्षिक ऋण टार्गेट (2016-17): 27606.77** प्रस्तुत ACP 2016-17 सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया।	सभी बैंक

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
5.1. **कृषि क्षेत्रों में केसीसी रुपे कार्ड जारी करना**	सभी सामान्य K.C.C.. खातों को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C. खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह एटीएम एवं पीओएस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त K.C.C.धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नही किया गया है। इसपर रीजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम. के. वर्मा ने कहा कि अब तक कुल 5.63 लाख ही रुपे कार्ड जारी किये गए हैं। जबकि प्राप्त आंकड़ो के अनुसार कुल के सी सी धारकों की संख्या 15 लाख है। SLBC की कृषि उप समिति की दिनांक 11.01.16 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 31.03.16 तक सभी बैंकों के द्वारा 100% KCC खातों में रुपे कार्ड जारी कर दिया जाएगा | अतः इसपर अति शिघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है एवं सुनिश्चित करना है कि इस वित्तीय वर्ष मे सभी KCC धारकों को रुपे कार्ड मिल जाए।	समस्त बैंक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का लोकार्पण किया गया है | इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है | झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है | झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए झारखण्ड राज्य की नोडल बीमा कंपनी के रूप में AGRICULTURE INSURANCE CO को अनुवंधित किया गया है | AGRICULTURE INSURANCE CO के क्षेत्रीय प्रवन्धक से इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए एक लघु PPT प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया |	**सभी बैंक एवं एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कम्पनी** **(इस योजना पर एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने प्रकाश डालते हुए पी. पी. टी. का प्रदर्शन किया।** **इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए उन्होने सभी बैंकों को सरकूलर की प्रति मुहैया कराये जाने एवं कार्यशाला आयोजन करने की बात कही।)**

5.2. **(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का वित्त पोषण(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)**	झारखंड में कुल एमएसएमई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध वित्तीय वर्ष समाप्ती मार्च ,2016 में 54.62% रही है।इस क्षेत्र मे ऋण वितरण की अपार संभावनाएं हैं चूंकि यहाँ खनिज एवं कोयला की भारी संपदा है। जरूरत है इन्सिलरी उद्योग स्थापित किए जाने की है। झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 309000 MSE ऋण खातें हैं,परंतु इनमे से केवल 74000 ऋण खातों में, अर्थात सिर्फ 24 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है | अतः सभी बैंकों को चाहिए की इस योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त किया जाए।	**समस्त बैंक**
5.2.(**ख**) **"<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u>"**	दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुरुवात से 31.03.2016 तक राज्य के कुल लक्ष्य के शिशु ऋण मे 151%, किशोर ऋण मे 58% एवं तरुण ऋण मे 57% की उप्लब्धी रही है। किशोर एवं तरुण ऋण वितरण मे अपेक्षा से काफी कम ऋण वितरण मे चिन्ता व्यक्त की गई। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा बैठक मे आश्वासन दिया गया कि ऋण संवितरण मे आपेक्षित गति प्रदान की जाएगी।	**समस्त बैंक**
5.3 <u>शिक्षा-ऋण</u>	प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के तुलना मे इस वर्ष शिक्षा ऋण मे 10.67 करोड़ की कमी आई है जो चिंता का विषय है। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति मे बेहतर भूमिका निभाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य के आदिवासी छात्रों को 4 लाख तक के शिक्षा ऋण को एक अभियान चला कर मुहैया कराने की सलाह दी थी एवं एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आश्वासन दिया था कि सभी बैंक अगले शिक्षा सत्र से आदिवासी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए एक campaign शुरू करेंगे।इसी कड़ी के अंतर्गत सभागार मे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उदघाटन किया	समस्त बैंक

	गया एवं इस दिन 40 आदिवासी छात्रों को विभिन्न बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री मृत्युंजय कुमार गुप्ता ने घोषणा के साथ सभी बैंकों से आग्रह किए कि आदिवासी छात्रों को बिना किसी सेक्यूरिटी या गारंटी के 7.5 लाख रकम तक शिक्षा ऋण दिया जाए।	
5.4 <u>गृह-ऋण</u>	गृह ऋण संवितरण पिछले वर्ष की तुलना में रु.4520.02 करोड़ से बढ़ कर रु. 5328.80 करोड़ हो गया है जो कि 808.78 करोड़ का वृद्धि दर्शाता है। इस क्षेत्र में और अधिक ऋण संवितरण करने पर बल दिया गया। इस संदर्भ में भा. रि. बै. के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु नक्शा पास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं है, इसलिए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-ऋण स्वीकृत करने में काफी कठिनाई होती है।गृह-ऋण संवितरण की मात्रा में कमी का एक मुख्य कारण यह भी है। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि ग्राम पंचायत को ग्राम-स्तर पर नक्शा पास करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसकी विस्तृत कार्य योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है तथा इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी।	समस्त बैंक/राज्य सरकार
5.5 ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी <u>हेतु ऋण प्रवाह</u> (5.5.1) अल्पसंख्यक के लिए ऋण	अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है। इस पर सभी बैंकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।	समस्त बैंक
5.5.2 <u>महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह</u>	इस वित्तीय वर्ष की समाप्ती 2015-16 तक महिलाओं को संवितरित कुल ऋण का 22.95% है, इस गति को आगे भी बरकरार रखा जाय।	समस्त बैंक

5.5.3 <u>डी आर आई ऋण के लिए ऋण प्रवाह</u>	डी आर आई ऋण का संवितरण निर्धारित बजट का मात्र **0.05**% हुआ है जो कि अपेक्षित न्यूनतम बजट 1% से काफी कम है। एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम **0.50%** ऋण इस क्षेत्र में करने को कहा।सभी बैंक-प्रमुखों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।	समस्त बैंक
5.5.4 <u>अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए ऋण प्रवाह</u>	इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह कुल ऋण का 18.58% रहा है तथा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है।	समस्त बैंक
5.6 एस एच जी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना	एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभा को सूचित किया कि पिछली तिमाही में बैंकों ने एसएचजी लिंकेज के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट कार्य किया है। इसपर **JSLPS** ने सूचित किया कि पिछले वर्ष के 34 करोड़ रुपए के तुलना मे इस वर्ष बैंकों ने 69 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज किया है। इसके लिए उन्होने बैंकों को धन्यवाद दिया। सभी बैंकों को इसी गति के साथ क्रेडिट लिंकेज के कार्य को बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक महिला समूहों को इससे जोड़ना चाहिए। 31 मार्च 2016 तक राज्य के 18 **LWE** प्रभावित जिलों मे नवगठित **WSHG** क्रेडिट लिंकेज की संख्या 13854 एवं बचत लिंकड की संख्या 32949 रही है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बतलाया की वर्ष 2016-17 के लिए पूरे राज्य मे 33000 **SHG** क्रेडिट लिंकेज का टार्गेट रखा गया है। जिसका जिलवार बटवारा कर सभी एलडीएम को सूचित कर दिया जाएगा एवं जिले मे एलडीएम शाखवार टार्गेट फिक्स करेंगे।	समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक गण
5.7 एनआरएलएम(NRLM)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।	समस्त बैंक

विषय	बर्तमान स्थिति	जिनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है
कार्य सूची संख्या – 6 **प्रधानमंत्री जनधन योजना** (PMJDY)	1) झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा ने बैंक मित्रों के कार्य की समीक्षा करते हुए इस पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होनें **BC transaction** के घटते प्रतिशत पर असंतोष जताया। इसपर **RBI** के क्षेत्रिया निदेशक श्री एम.के.वर्मा ने चिंता जाहीर करते हुए कहा कि बहुत कम बी.सी. हैं जिसका औसत लेन-देन 50 या अधिक है। ¾ बी.सी. ऐसे हैं जिनका लेन-देन निर्धारित औसत से कम है। ऐसे कई **SSA** हैं जो बैंक द्वारा या बी.सी. द्वारा **uncovered** हैं।**इन बातों के होते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना सार्थक नहीं हो पाएगा।**अतः जिन बीसी का कार्य सही नहीं हो पा रहा है उन्हे बदलने की आवश्यकता है साथ ही **uncovered SSA** मे **BC** का नियोजन करना आवश्यक है। उन्होने रोजगार सेवक, **SHG** सदस्यों को भी बैंक मित्रों के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी। एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने उपस्थित बैंकों से कहा कि 20.06.2016 तक ये सारी प्रक्रिया हमे पूरी कर लेनी चाहिए। 2) श्री एम के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में बैंक के 31 शाखाओं को 31.03.2016 तक खोलने का प्रस्ताव था, जो पूरा नहीं हो पाया है। इसपर एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने बैंकों से कहा कि बैंक सुनिश्चित करे कि इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही मे बैंक दिये गए शाखा खोलने के पिछले टार्गेट को पूरा करे।	समस्त बैंक
कार्य सूची संख्या - 7 **एनपीए एवं वसूली**	झारखंड राज्य में एनपीए की स्थिति काफी चिंताजनक है तथा वर्ष-दर-वर्ष इसमें तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ती 2015-16 को NPA सकल अग्रिम का 6.50% दर्ज किया गया है जो काफी अधिक है। इससे नए ऋण वितरण मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री एम के वर्मा ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की तथा एनपीए का प्रतिशत हर हाल में कम करने का निर्देश दिया। इसके लिए SARFAESI एक्ट एवं सर्टिफिकेट केस के तहत दर्ज मामलों का निपटारा त्वरित रूप से करने पर ज़ोर दिया। उनहोंने बताया कि DLCC की सभाओं में भी चर्चा कर	**समस्त बैंक एवं राज्य सरकार**

	इसका समाधान ढूढ़ा जाना चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनसे संबन्धित काफी मामले लंबित हैं एवं इनके निपटारे की गति काफी धीमी है। एसएलबीसी के महा प्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा तथा बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से वसूली शिविर लगाने की सलाह दी। श्री अमित खरे, प्रधान सचिव, आयोजना एवं वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।	
कार्य सूची संख्या-8 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	वर्ष 2015-16 मे 1913 के लक्ष्य के विरुद्ध 1396 आवेदनो की स्वीकृती बैंकों द्वारा की गई। जिसमे 40.71 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट मे समाविस्ट नहीं किया गया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा का सुरुवात कर लेनी चाहिए।	समस्त बैंक
कार्य सूची संख्या-9 **वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का संचालन**	बैठक में इस बात की चर्चा की गयी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का महत्व काफी बढ़ गया है। यह आम जनों में बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। आर.बी.आई. के निर्देशानुसार मार्च, 2016 तिमाही के दौरान वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा 336 एवं ग्रामीण शाखाओं द्वारा 1938 शिविर का आयोजन किया गया।आगे भी उन शाखाओं को एवं FLC केन्द्रों को अपनी अपनी आवंटित सभी सत्रों मे वित्तीय साक्षरता प्रदान करना जारी रखना पड़ेगा।	समस्त बैंक

कार्य सूची संख्या-11 **<u>विविध कार्यसूची</u>** 1. राज्य के 48 FLC के 9 केंद्रों मे विगत तिमाही मे एक भी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन नहीं किया गया।नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे वित्तीय साक्षरता से संबन्धित शिविर सत्रों के अनुसार नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें। (प्रस्तावक: भारतीय रिजर्व बैंक)	यह बतलाया गया कि ये FLC निम्न बैंको के द्वारा संचालित है: झारखण्ड ग्रामीण बैंक के 9, वनांचल ग्रामीण बैंक के 2 एवं SBI के 1 FLC केंद्र । इसपर इन बैंकों ने कहा कि हुए शिविर की सूचना समय पर उनके द्वारा एस एल बी सी को नहीं दी है। इस सूचना को सुधार कर फिर से भेजी जाएगी।	**झारखंड ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**
2. गुजरात के डांग जिले मे आदिवासियों को GREEN KISAN CREDIT CARD योजना के तहत MICRO CREDIT उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड राज्य मे भी आदिवासी एवं प्राकृतिक वनसंपदा बहुतायत मे उपलब्ध है, इस योजना को झारखंड राज्य मे भी सफलता से चलायी जा सकती है। (प्रस्तावक: भारतीय रिजर्व बैंक)	इस विषय पर RBI के उप-महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बतलाया कि आदिवासियों के वन से लगे अपनी जमीन पर लगे पेड़ो का उपयोग वन-विभाग द्वारा वैल्यू सर्टिफिकेट प्राप्त कर इसके एवज मे बैंक से ऋण लेने के लिए कोलेटेरल सेक्युर्टी के रूप मे जमा कर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस स्कीम को अपने राज्य मे भी लागू करने करने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग, कल्याण विभाग, एसएलबीसी की एक कमिटी गठन करने की बात कही गई।	**राज्य सरकार एवं एसएलबीसी**
3. राज्य के सहकारी बैंकों का ANNUAL CREDIT PLAN 2015-16 मे दिये गए लक्ष्य-प्राप्ति संतोषजनक नहीं है। इसपर उपस्थित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से निवेदन किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष मे लक्ष्य प्राप्ति मे सुधार हेतु कार्ययोजना इस बैठक मे चर्चा करें। (प्रस्तावक: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सभा को आश्वस्त किया गया की AFY 2016-17 के दौरान सहकारी बैंकों के प्रदर्शन पर अपेक्षित सुधार किया जाएगा एवं उनके द्वारा ACP 2016-17 मे दिये गए विभिन्न ऋण संवर्गों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।	**सभी सहकारी बैंक, झारखण्ड**

4. झारखण्ड राज्य मे JOINT LIABILITY GROUP के तहत दिये गए ऋण की प्रगति अशानुरूप नहीं है। SLBC से आग्रह है कि वे AFY 2015-16 मे सभी बैंक एवं जिलों को Joint Liability Group के तहत वित्त-पोषण का लक्ष्य प्रदान करें एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। (प्रस्तावक: नाबार्ड)	मुख्य महाप्रबंधक NABARD द्वारा सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे JLG मे अधिक ऋण स्वीकृत करें एवं C.B.S. सॉफ्टवेर मे JLG के लिए अलग संवर्ग बनाया जाय क्योंकि वर्तमान मे JLG को SHG ऋण मे दर्शाया जा रहा है।	**समस्त बैंक**
5. एक लाख रुपए से अधिक कृषि ऋण पर आवश्यक रूप से लिए जाने वाले भूमि बंधक/ COLLATERAL सेक्युरिटी के बदले राज्य सरकार की गारंटी लिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं सभी बैंक प्रमुखों को इस विषय मे उपयुक्त निर्णय लेने का आग्रह किया जाता है। (प्रस्तावक: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड)	वर्तमान मे लागू RBI के निर्देशानुसार 1 लाख रुपए से अधिक रकम के कृषि ऋण लेने के लिए भूमि का मोर्टगेज या उचित रकम का कोलेटरल सेक्यूरिटी लेना आवश्यक है। झारखण्ड राज्य मे CNT/SPT Act लागु होने के कारण SC/ST/OBC भूमि का मोर्टगेज नहीं किया जा सकता है साथ ही यहाँ के किसानो की माली स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है की वो इसके बदले कोई कोलेटरल सेक्यूरिटी दे सके। इसपर RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने प्रस्ताव रखा कि राज्य मे कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से उपर के कृषि ऋण के लिए इन सेक्यूरिटी के बदले राज्य सरकार द्वारा काउंटर गारंटी मुहैया करवायी जाय। इसपर कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव झारखण्ड सरकार सहित उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति जतायी गई।	राज्य सरकार एवं एस.एल.बी.सी.

6. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार एवं JSLPS के द्वारा आग्रह किया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम के तहत संचालित बैंक मित्र केन्द्रों मे राज्य के महिला स्वम सहायता समूहों के सदस्यों को पदस्थापित किया जाय। उपस्थित STAKE HOLDERS से आग्रह है कि इस विषय मे उपयुक्त निर्णय लें।	इस विषय पर विश्व बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा लघु Film का प्रदर्शन किया गया। JSLPS के द्वारा Uncovered SSA मे SHG के महिला सदस्यों की BC के तौर पर पदस्थापित करने का आग्रह किया गया।	**सभी बैंक**

सभा के अंत में डा. एस.सी.पती, अध्यक्ष , वनांचल ग्रामीण बैंक ने माननीय मुख्य मंत्री, सभी गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री एम के गुप्ता ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की।